// कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम म.प्र. //

--0--

क्रमांक 305/रीडर-2/एडीएम/24 रतलाम, दिनांक 10/12/2024

प्रति,

माननीय श्री कमलेश्वर डोडियार,
विधायक, 221 सैलाना,
जिला रतलाम म0प्र0

विषयः-दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को महाआंदोलन कार्यक्रम ।

संदर्भः-आपका पत्र क्रमांक 1930, 1933, 1939/व्हीआईपी/2024, दिनांक 09.12.2024

-0-

संदर्भित पत्रों से आपके द्वारा दिनांक 11.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे शहर रतलाम में अम्बेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर डॉ. बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेहरू स्टेडियम में सभा करने का लेख कर पत्रों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पीने का स्वच्छ पानी चलित शौचालय, महाआन्दोलन कार्यक्रम की ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग उच्च गुणवत्ता के शासकीय लगभग 20 कैमरे से अनिवार्य रूप से कराये जाने के आदेश जारी करते हुए पुलिस मुख्यालय, भोपाल से विशेष रूप से लगभग 500 बॉडी कैमरे एवं ड्रोन कैमरे उक्त कार्यक्रम की संपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग किये जाने हेतु मांग पत्र एव विशेष सुरक्षा बल कंपनी तैनात किये जाने के संबंध में आदेश लोकहित में जारी किये जाने के संबंध में लेख किया गया है । इसके साथ ही आपके द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम के द्वारा दिनांक 06.12.2024 को जारी किये गये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165 (5) के तहत जारी आदेश को निरस्त किये जाने की मांग भी की गई है । आपने अपने पत्र में उल्लेखित किया गया है कि **''आपसे विशेष अनुरोध है कि उक्त संपूर्ण कार्यक्रम की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग शासकीय उच्च गुणवत्ता के कैमरों से अनिवार्य रूप से कराई जाएं तथा धरना प्रदर्शन में लगे पुलिस प्रशासन के जवानों को बॉडी कैमरा भी प्रदान किया जाएं, जिससे की प्रत्येक हलचल एवं किसी भी अप्रिय घटना की ऑडियो एवं वीडियोग्राफी पूर्ण हो सके । क्योंकि मैं भारत आदिवासी पार्टी का एक मात्र निर्वाचित पार्टी का विधायक हूं तथा कुछ असामाजिक तत्व सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एवं विरोधी पक्ष के लोग उक्त शांतिपूर्वक महाआन्दोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये कोई अप्रिय घटना पारित कर सकते है, इसलिये कलेक्टर कार्यालय रतलाम एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रतलाम के कार्यालयों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त बैरिकेटिंग अनिवार्य रूप से लगाई जावें''** ।

2/ उपरोक्त पत्रों के अवलोकन एवं महाआन्दोलन के संबंध में सोशल मीडिया एवं किये जा रहे प्रचार से महाआन्दोलन कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है । साथ ही आपके द्वारा बॉडी कैमरे ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग, बैरिकेटिंग करवाई जाने एवं महाआन्दोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये अप्रिय घटना कारित करने की संभावना

व्यक्त की गई है । दिनांक 11.12.2024 का आपके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम जिसकी आपके द्वारा कोई पूर्वानुमति नहीं ली गई है, में एकत्रित भीड़ से शहर की लोकव्यवस्था में व्यवधान, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है ।

3/ अतः उपरोक्त बिन्दुओं एवं आपके स्वयं के द्वारा व्यक्त अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए दिनांक 11.12.2024 को आपके द्वारा आहूत महाआन्दोलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है । सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति भीड़ को एकत्रित कर शहर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम

पृ.क्रमांक 305/रीडर–2/एडीएम/24 रतलाम, दिनांक 10/12/2024

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. पुलिस अधीक्षक, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम